संख्या 697 /xxvii(1) /2009

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–1

देहरादून :: दिनाँक 21 अक्टूबर, 2009

विषयः– प्रदेश में वित्तीय अनुशासन बनाए जाने हेतु प्रभावी दिशा निर्देश।

महोदय,

विगत वर्षों में यह देखा गया है कि अधिकांश विभागों द्वारा आयोजनागत तथा आयोजनेत्तर दोनों ही पक्षों में वेतन को छोड़कर शेष धनराशि का एक बड़ा अंश केवल माह फरवरी और मार्च में व्यय किया जाता है। *इस प्रकार की स्वीकृति* विशेष रूप से पूँजीगत कार्यों, जिसमें निर्माण कार्य होते हैं, *में देखने को मिलती* है जिससे यह स्पष्ट है कि बड़ी मात्रा में धनराशि की पार्किंग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से की जा रही है जो एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है तथा जिससे *राज्य की वित्तीय एवं अर्थोपाय स्थिति पर प्रतिकूल* प्रभाव पड़ता *है। अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में तत्काल प्रभाव से निम्नांकित निर्देश निर्गत करने का मुझे निदेश हुआ है:–*

1. सामग्री क्रय से सम्बन्धित जो भी क्रयादेश निर्गत किए जाने हैं उस सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही पूर्ण कर दिनाँक 15 जनवरी, 2010 से पूर्व क्रयादेश निर्गत कर दिए जाएं। दिनाँक 15 जनवरी, 2010 के बाद बाह्य सहायतित परियोजनाओं को छोड़कर अन्य किसी भी योजना में निर्गत क्रयादेश का भुगतान नहीं किया जाएगा। यह प्रतिबन्ध चिकित्सा, पशुधन की औषधियों, चिकित्सालय, छात्रावास तथा आश्रम *पद्धति विद्यालयों* के संचालन हेतु आवश्यक खाद्य सामग्री के क्रय पर लागू नहीं होगी।
2. बैंकों में धनराशि जमा करना पूर्व से ही प्रतिबन्धित है तथा वित्तीय नियमों में पहले से ही इसका प्राविधान है और विशेष परिस्थितियों में वित्त विभाग की सहमति से ही ऐसा किया जा सकता है। जिन मामलों में पूर्व से बैंक खातों में धनराशि जमा है उसकी सूची वित्त विभाग को उपलब्ध कराई जाए और जहाँ आवश्यक हो वहां वित्त विभाग की पुनः स्वीकृति प्राप्त की जाए। बैंकों में बिना पूर्व स्वीकृति के धनराशि जमा करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनिक कार्यवाही की जाए।
3. किसी भी परिस्थिति में वाह्य सहायतित परियोजनाओं की धनराशि से अन्य योजनाओं में पुनर्विनियोग नहीं किया जाएगा और इस प्रकार के प्रस्ताव वित्त विभाग को न भेजे जाएं।

4. समस्त विभाग यह आंकलन करेंगे कि वित्तीय वर्ष के अन्त तक चालू निर्माण तथा नव निर्माण में सम्बन्धित निर्माण एजेंसी द्वारा कितना व्यय किया जायेगा। विभाग वांछित धनराशि के स्वीकृति विषयक प्रस्ताव में यह इंगित करेंगे कि निर्माण कार्य हेतु भूमि उपलब्ध है तथा भूमि का कब्जा ले लिया गया है। इस दृष्टि से शासन द्वारा निर्माण एजेंसी को उतनी ही धनराशि अवमुक्त की जायेगी जितनी धनराशि माह मार्च, 2010 तक व्यय हो सके।

5. निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में परिव्यय के अन्तर्गत उतनी ही धनराशि की स्वीकृति की जा सकेगी जो कार्य अगले वित्तीय वर्ष तक पूर्ण हो जाये तथा अनावश्यक देनदारी सृजित न की जाये। पूंजीगत निर्माण कार्यों के लिये 28 फरवरी, 2010 के बाद कोई वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की जाएगी।

6. समस्त प्रशासनिक विभागों की बाह्य सहायतित परियोजनाओं को छोड़कर अन्य कोई भी वित्तीय स्वीकृति की पत्रावली इस वित्तीय वर्ष में दिनांक 28 फरवरी, 2010 के बाद ग्रहण नहीं की जाएगी और प्रशासनिक विभाग अपनी समस्त औपचारिकताएं इस तिथि से पूर्व पूर्ण कर वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे।

उक्त शासनादेश का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

/

(इन्दु कुमार पाण्डे)
मुख्य सचिव

संख्या 697 /xxvii(i)/2009, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, आबेराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/ कुमाऊँ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त